International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 17-10-2025, Accepted: 17-11-2025, Published: 01-12-2025
Volume 11, Issue 6, 2025, Page No. 110-113

पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम,1954 के वर्तमान समय में प्रासंगिक मूल्यों पर एक अध्ययन

पुखराज प्राज[1], भूमिका[2]
[1] सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, एसडीयू, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
[2] विद्यार्थी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, एसडीयू, नया रायपुरए छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
भारत सरकार द्वारा पारित डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, 1954 का उद्देश्य देश में प्रकाशित पुस्तकों और समाचारपत्रों की प्रतियाँ राष्ट्रीय और सार्वजनिक पुस्तकालयों को उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम ज्ञान के संरक्षण, सूचना की लोकतांत्रिक पहुँच और शोध के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। वर्तमान डिजिटल युग में, जहाँ सूचना का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, यह अधिनियम और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशक को प्रकाशित सामग्री की प्रतियाँ एक माह के अंदर चार प्रमुख पुस्तकालयों (कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय सहित) को भेजनी होती हैं। यह व्यवस्था देश के बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में सहायक है। अधिनियम का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी है, जिससे इसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वर्तमान समय में इस अधिनियम की प्रासंगिकता कई स्तरों पर देखी जा सकती है। सबसे पहले, यह अधिनियम डिजिटल अभिलेखन की दिशा में सहायक है। पुस्तकालयों में प्राप्त सामग्री को डिजिटाइज़ कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे देश के नागरिकों को कहीं से भी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह डिजिटल इंडिया और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहलों को मजबूती देता है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, 1954 आज भी भारत में सूचना के संरक्षण और सार्वजनिक ज्ञान की उपलब्धता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसके दायरे को डिजिटल सामग्री तक विस्तारित किया जाए और क्रियान्वयन को सशक्त बनाया जाए, तो यह अधिनियम भविष्य की ज्ञान–आधारित समाज की नींव बन सकता है।

मूल शब्द: डिलीवरी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ई–बुक्स, ऑनलाइन, राष्ट्रीय पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरीज़, कोलकाता, आईएनबी, ई–पब्लिकेशन्स

प्रस्तावना
डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, 1954 आज भी भारत में ज्ञान के संरक्षण और सार्वजनिक पुस्तकालयों की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है। यह अधिनियम न केवल साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज़) एक्ट, 1954 भारत सरकार द्वारा 20 मई 1954 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक, समाचारपत्र और पत्रिका की एक–एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय (कोलकाता) और अन्य निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनिवार्य रूप से दी जाए। इस कानून के तहत प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्धारित समय सीमा में संबंधित पुस्तकालयों को भेजें। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में प्रकाशित समस्त साहित्य का एक समेकित संग्रह तैयार करना, जिससे शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। आज के डिजिटल युग में, जब अधिकांश जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, तब यह सवाल उठता है कि क्या इस अधिनियम की वर्तमान में कोई उपयोगिता बची है? उत्तर है—हाँ, और वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण। सबसे पहले, यह अधिनियम भारत की बौद्धिक संपदा का एक ऐतिहासिक अभिलेख तैयार करने में सहायक है। भारत जैसे विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश में, हर क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री का दस्तावेजीकरण आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी महत्वपूर्ण साहित्यिक या वैचारिक सामग्री समय के साथ लुप्त न हो जाए। दूसरे, यह अधिनियम शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक अमूल्य संसाधन प्रदान करता है। जब किसी विषय पर गहन अध्ययन करना होता है, तो केवल डिजिटल स्रोत पर्याप्त नहीं होते। कई बार स्थानीय प्रकाशनों, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पुराने समाचारपत्रों की आवश्यकता होती है, जो केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों में ही उपलब्ध होते हैं। इस अधिनियम के कारण ऐसे पुस्तकालयों में विविध और समृद्ध संग्रह संभव हो पाया है। तीसरे, यह अधिनियम सूचना के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है। भारत में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंटरनेट की पहुँच सीमित है। वहाँ के लोगों के लिए पुस्तकालय ही ज्ञान का मुख्य स्रोत हैं। यदि हर प्रकाशित सामग्री पुस्तकालयों तक पहुँचे, तो समाज के हर वर्ग को समान रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह सामाजिक समानता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई प्रकाशक इस कानून के प्रति अनभिज्ञ हैं या इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसके अलावा, डिजिटल पब्लिकेशन्स की बढ़ती संख्या ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है—क्या ई–बुक्स और ऑनलाइन समाचारपत्रों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सकता है? वर्तमान में अधिनियम केवल मुद्रित सामग्री पर लागू होता है, जिससे डिजिटल साहित्य का संरक्षण अधर में रह जाता है। इसलिए, इस अधिनियम को समयानुकूल संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि डिजिटल युग की आवश्यकताओं को भी समाहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालयों की भौतिक स्थिति और संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। कई पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री को ठीक से संरक्षित नहीं किया जाता, जिससे वह समय के साथ नष्ट हो जाती है। यदि इस अधिनियम की उपयोगिता को बनाए रखना है, तो पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना होगा और उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा। सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है ताकि प्रकाशक, लेखक और पुस्तकालय एक साझा उद्देश्य के तहत कार्य कर सकें। इसके साथ ही, एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल की स्थापना की जा सकती है जहाँ प्रकाशक अपनी डिजिटल सामग्री भी

अपलोड कर सकें, जिससे डिजिटल साहित्य का भी संग्रह संभव हो। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, 1954 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम है। इसकी वर्तमान उपयोगिता न केवल बनी हुई है, बल्कि डिजिटल युग में इसे और अधिक व्यापक और समावेशी बनाने की आवश्यकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और समयानुकूल संशोधित किया जाए, तो यह अधिनियम आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक अमूल्य खजाना बन सकता है।

साहित्य समीक्षा

भारतीय कोड के अनुसार (1954 मूल अधिनियम पाठ), इस आधिकारिक दस्तावेज़ में अधिनियम की धारा, दंड और प्रकाशकों की जिम्मेदारियों का विवरण है। यह आज भी कानूनी आधार प्रदान करता है। जो चार पुस्तकालयों को प्रलेख भेजने की अनिवार्यता सेक्शन ३ सशक्त बनाता है।

संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) के अनुसार, मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिनियम और 1956 संशोधन का उल्लेख है। यह दिखाता है कि सरकार ने ज्ञान संरक्षण और सार्वजनिक पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए अधिनियम को लागू रखा है।

बी प्रदीप बालाजी, एम एस विनय, जे एस मोहन राजू (2018), राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1948 के नियम और विनियम प्रबंधन और नीति से संबंधित मामलों में अधिक लचीले होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिसके पास निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक मंडल के साथ कार्यों को संभालने की शक्तियाँ हों (बिस्वास, 2012)। यदि प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा किए जाते हैं, तो इससे भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची (1958 में शुरू) का प्रकाशन जारी रखने में मदद मिलेगी। इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि प्रकाशक उस कानूनी नियम का पालन नहीं करते हैं जिसके तहत प्रतियों को राष्ट्रीय जमा पुस्तकालयों में से किसी चार में जमा करना आवश्यक है।

प्रियंगा एन, (2019) के अनुसार, इस पेपर में अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रकाशकों की जिम्मेदारी पर चर्चा है। लेखक ने इंडियन नेशनल बिबलियोग्राफी की भूमिका को रेखांकित किया है।

शर्मा, पी. (2020), इंडियन जर्नल ऑफ़ इनफार्मेशन स्टडीज़, इस अध्ययन में अधिनियम को ज्ञान संरक्षण और सूचना तक पहुँच के संदर्भ में आधुनिक समय में प्रासंगिक बताया गया है।

बोस, एस. (2016). एनल्स ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन स्टडीज़, लेखक ने इंडियन नेशनल बिबलियोग्राफी की उपयोगिता और अधिनियम की वजह से प्रकाशनों के व्यवस्थित रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला है।

श्री धीमान मंडल और डॉ. अरबिंद मैती (2019), भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची (आईएनबी) वर्तमान भारतीय प्रकाशनों के लिए एक उत्कृष्ट पुस्तक चयन उपकरण है और यह प्रकाशकों के लिए अपने प्रकाशनों के प्रचार हेतु इस उपकरण का उपयोग करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यद्यपि प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें जमा न करने के कारण आईएनबी का कवरेज कम है, फिर भी आशा है कि यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत के पुस्तकालय सूचना प्रणाली क्षेत्र में पुस्तक प्रकाशनों का एक परिपक्व प्रतिबिंब है। चूँकि पुस्तकालय सूचना प्रणाली के लेखक इन सभी कानूनी जमा अधिनियमों के प्रति जागरूक हैं, इसलिए यह अपेक्षित है कि वे प्रकाशकों को इन अधिनियमों के प्रति प्रतिबद्धता जताने और अपनी लिखित पुस्तकें निर्दिष्ट निक्षेपागार पुस्तकालयों में जमा कराने के लिए प्रेरित और निर्देशित करें।

गुप्ता, एम. (2019). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ डिजिटल लाइब्रेरीज, इस पेपर में अधिनियम को डिजिटल आर्काइविंग से जोड़कर देखा गया है। लेखक ने सुझाव दिया है कि ई–पब्लिकेशन्स को भी अधिनियम में शामिल किया जाए।

सिंह , ए. (2017). लाइब्रेरी हेराल्ड, अध्ययन में राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका और अधिनियम के कारण ज्ञान का केंद्रीकरण पर चर्चा की गई है।

चटर्जी, बी. (2019). जर्नल ऑफ़ इनफार्मेशन पालिसी, लेखक ने अधिनियम की चुनौतियों को डिजिटल युग में रेखांकित किया है। विशेषकर ई–पुस्तकों और ऑनलाइन समाचार पत्रों को शामिल करने की आवश्यकता बताई है।

दास, पी. (2017). लाइब्रेरी प्रोग्रेस इंटरनेशनल, इस शोध में अधिनियम को सार्वजनिक पुस्तकालयों में ज्ञान साझा करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया गया है।

भट्टाचार्य , एस. (2021). जर्नल ऑफ़ डिजिटल नॉलेज, लेखक ने भविष्य की चुनौतियों जैसे डिजिटल प्रकाशनों का कानूनी जमा और तकनीकी ढाँचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रकाशन की निगरानी सुनिश्चितता

डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, 1954 भारत में प्रकाशित पुस्तकों पर नियंत्रण का एक प्रभावी माध्यम है, जो साहित्यिक अभिलेखों के संरक्षण और प्रकाशन की निगरानी सुनिश्चित करता है। भारत सरकार द्वारा पारित डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज़) एक्ट, 1954 का उद्देश्य था कि देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक और समाचारपत्र की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय (कोलकाता) और अन्य निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनिवार्य रूप से दी जाए। यह अधिनियम न केवल ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह भारत में प्रकाशित सामग्री पर एक प्रकार का सांविधिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक प्रकाशक को यह अनिवार्य किया गया है कि वह प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निर्धारित समय सीमा में संबंधित पुस्तकालय को भेजे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यह अधिनियम प्रकाशकों को जवाबदेह बनाता है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उनकी सामग्री सार्वजनिक अभिलेखों में दर्ज हो। भारत में प्रकाशित पुस्तकों पर नियंत्रण के प्रमुख पहलू इस अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित हैं:

- **प्रकाशन का दस्तावेजीकरण:** अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा होती है, जिससे सरकार को यह जानकारी मिलती है कि देश में क्या प्रकाशित हो रहा है। यह एक प्रकार की सेंसरशिप नहीं, बल्कि सूचनात्मक निगरानी है।

- **सामग्री की निगरानी:** चूँकि प्रत्येक पुस्तक की प्रति सरकार के पास जाती है, तो यदि कोई आपत्तिजनक, भ्रामक या राष्ट्रविरोधी सामग्री प्रकाशित होती है, तो उसकी पहचान जल्दी हो सकती है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

- **प्रकाशकों की जवाबदेही:** अधिनियम के तहत प्रकाशकों को पुस्तक की प्रति भेजने की कानूनी बाध्यता होती है। इससे प्रकाशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और अवैध या अनधिकृत प्रकाशन पर अंकुश लगता है।

- **शोध और अभिलेखन:** यह अधिनियम देश में प्रकाशित समस्त साहित्य का एक समेकित संग्रह तैयार करता है,

जिससे शोधकर्ता और नीति निर्माता देश की वैचारिक दिशा को समझ सकते हैं। यह ज्ञान की निरंतरता और ऐतिहासिकता को बनाए रखने में सहायक है।

हालाँकि, यह अधिनियम सीधे तौर पर किसी पुस्तक की विषयवस्तु पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इसके माध्यम से सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह प्रकाशित सामग्री की निगरानी कर सके। यदि कोई सामग्री कानूनों का उल्लंघन करती है, तो उसकी प्रति सरकार के पास होने के कारण त्वरित कार्रवाई संभव हो जाती है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट, 1954 भारत में प्रकाशित पुस्तकों पर नियंत्रण का एक संविधानिक और सांस्कृतिक माध्यम है। यह न केवल साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि प्रकाशन की प्रक्रिया को जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, जहाँ सूचना की निगरानी और संरक्षण दोनों आवश्यक हैं।

सरकार द्वारा नामित चार राष्ट्रीय डिपॉज़िटरी

भारत में प्रकाशित पुस्तकों और समाचार पत्रों के संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज़) एक्ट, 1954 लागू किया। इस अधिनियम के तहत, देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की एक प्रति सरकार द्वारा नामित चार राष्ट्रीय डिपॉज़िटरी पुस्तकालयों में जमा करना अनिवार्य है। यह कानून भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संजोने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन चार पुस्तकालयों में पहला है नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता, जो भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय है और सभी भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह करती है। यह शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्य संसाधन है। दूसरा है कॉन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई, जो दक्षिण भारत के प्रकाशनों का प्रमुख संग्रह केंद्र है और तमिल सहित अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षित करती है। तीसरा है एशियाटिक लाइब्रेरी, मुंबई, जो पश्चिम भारत में प्रकाशित पुस्तकों और समाचार पत्रों का संग्रह करती है और ऐतिहासिक ग्रंथों का भंडार है। चौथा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो हिंदी और अंग्रेज़ी सहित कई भाषाओं के प्रकाशनों को संग्रहित करती है और दिल्ली क्षेत्र में ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। इन चारों पुस्तकालयों का उद्देश्य न केवल ज्ञान का संरक्षण करना है, बल्कि आम जनता को सूचना तक पहुंच प्रदान करना भी है। यह अधिनियम शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और भारत की विविधता को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाता है।

भारत में वर्षवार प्रकाशित पुस्तकों की संख्या

वर्ष	प्रकाशित पुस्तकों की संख्या
2020	1,44,495
2021	1,95,918
2022	2,74,455
2023	3,64,230
2024	5,67,464

पिछले पाँच वर्षों में भारत में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020 में जहाँ कुल 1,44,495 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 1,95,918 हो गई। इसके बाद 2022 में यह आंकड़ा 2,74,455 तक पहुँच गया, जो कि लगभग 40% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023 में यह संख्या और बढ़कर 3,64,230 हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में लेखन और प्रकाशन का क्षेत्र तेजी से फल–फूल रहा है। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष 2024 में देखी गई, जब प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 5,67,464 तक पहुँच गई। यह न केवल साहित्यिक सृजन की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि डिजिटल और प्रिंट माध्यमों में पढ़ने की रुचि बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर एक सकारात्मक संकेत है।

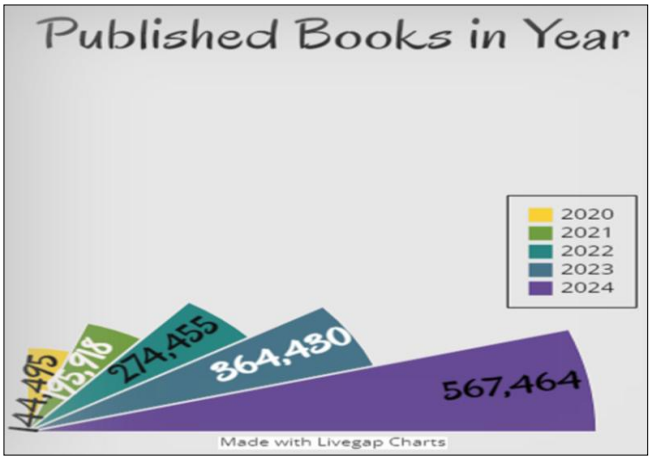

पिछले पाँच वर्षों में भारत में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालयों को प्राप्त होने वाले लाभों को कई स्तरों पर प्रभावित करती है। इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक प्रकाशक को अपनी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति नामित डिपॉज़िटरी पुस्तकालयों में जमा करनी होती है। वर्ष 2020 से 2024 तक प्रकाशित पुस्तकों की संख्या क्रमशः 1,44,495; 1,95,918; 2,74,455; 3,64,230; और 5,67,464 रही है। इस बढ़ती संख्या ने राष्ट्रीय पुस्तकालयों को ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ प्रदान किए हैं। अधिक पुस्तकें जमा होती हैं, पुस्तकालयों का संग्रह समृद्ध होता जाता है। इससे विभिन्न विषयों पर अद्यतन और विविध सामग्री उपलब्ध होती है, जो छात्रों, शोधकर्ताओं और सामान्य पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह संग्रह न केवल आधुनिक विषयों को समेटता है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं, लोक साहित्य और अल्पज्ञात विषयों को भी संरक्षित करता है, जिससे भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संजोने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों में जमा की गई पुस्तकों का उपयोग विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्वतंत्र विद्वानों द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकालयों में उपलब्ध प्रामाणिक और विविध स्रोत शोध की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और नई खोजों को प्रेरित करते हैं। विशेष रूप से साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र और भाषाविज्ञान जैसे विषयों में यह संग्रह अमूल्य सिद्ध होता है। भारत में विभिन्न भाषाओं और समुदायों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का संग्रह देश की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करता है। लोककथाएँ, धार्मिक ग्रंथ, क्षेत्रीय इतिहास और पारंपरिक ज्ञान की पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर बनती हैं। यह अधिनियम सूचना के लोकतंत्रीकरण को भी बढ़ावा देता है। जब पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध होती हैं, तो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे सामाजिक समावेशिता और शिक्षा का स्तर बढ़ता है। इस प्रकार, पिछले पाँच वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों की बढ़ती संख्या ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालयों को न केवल भौतिक रूप से समृद्ध किया है, बल्कि भारत के ज्ञान, संस्कृति और शोध परिदृश्य को भी सशक्त बनाया है। यह अधिनियम आज भी भारत की बौद्धिक प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

निष्कर्ष

भारत में बीते पांच वर्षों (२०२०–२०२४) १० लाख से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इन पुस्तकों का प्रकाशन भारत के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक उपक्रम के रूप में प्रलेख प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। डिलीवरी ऑफ़ बुक एंड न्यूज़ पेपर (पब्लिक लाइब्रेरी) एक्ट, १९५४ कहता है कि, प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशन में मुद्रित प्रलेख को चार परिदानकेंद्रों में प्रेषित करना अनिवार्य है। लेकिन इस अधिनियम का सशक्त पालन नहीं किया जा रहा है। या इस अधिनियम से छोटे प्रकाशकों अनिभिज्ञ हैं। जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रकाशित पुस्तकों के लिए ISBN प्राप्त पुस्तकों कि संख्या और राष्ट्रीय ग्रन्थसूची में दर्ज पुस्तकों की संख्या भिन्न हैं। प्रकाशकों और लेखकों को यह समझना होगा की ISBN केवल पुस्तक की मानक अंक हैं, जबकि राष्ट्रीय ग्रन्थसूची भारत में प्रकाशित और सत्यापित सूची हैं। राष्ट्रीय ग्रन्थसूची में प्रकाशित पुस्तक का तालिकाकरण हेतु ४ परिदान केंद्रों में पुस्तक प्रेषित किये बिना उसका अंकन संभव नहीं हैं। पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ के अनिवार्यता के लिए प्रकाशन उद्योगों के संचालकों को इसका ज्ञान होना आवश्यक हैं। अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी पुस्तक के प्रकाशनोपरांत उपयोगिता एवं पहचान शून्यग्राही प्रतीत होती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. Ministry of Culture. The Delivery of Books and Newspapers Act, 1954.
2. Government of India. The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954.
3. Ministry of Culture. The Delivery of Books (Public Libraries) Amendment Act, 1956.
4. Academia.edu. Delivery of Books and Newspaper Act. 2019.
5. Kumar R. Library Legislation in India: A Historical Perspective. Journal of Library Science,2018:12(3):45–56.
6. Sharma P. Preservation of Knowledge in Indian Libraries. Indian Journal of Information Studies,2020:15(2):67–78.
7. Singh A. Role of National Library in Knowledge Dissemination. Library Herald,2017:59(1):23–34.
8. Gupta M. Digital Archiving and Legal Deposit in India. International Journal of Digital Libraries,2019:8(4):112–124.
9. Bose S. Indian National Bibliography: Its Relevance Today. Annals of Library and Information Studies,2016:63(2):89–97.
10. Patel J. Access to Information and Democracy. Journal of Social Sciences,2021:19(1):55–66.
11. Rao K. Legal Framework for Libraries in India. Library Science Review,2015:10(2):34–45.
12. Mehta R. Cultural Diversity and Knowledge Preservation. Indian Cultural Studies,2018:14(3):78–90.
13. Chatterjee B. Challenges of Legal Deposit in Digital Era. Journal of Information Policy,2019:7(1):101–115.
14. Das P. Public Libraries and Knowledge Sharing in India. Library Progress International,2017:37(2):56–68.
15. Verma S. Legal Obligations of Publishers in India. Indian Journal of Publishing Studies,2020:22(1):45–59.
16. IFLA. Legal Deposit Worldwide: A Comparative Study, 2016.
17. UNESCO. Knowledge Preservation and Access, 2015.
18. Chakraborty A. Libraries and National Identity. Journal of Cultural Heritage,2018:11(2):34–47.
19. Jain N. Legal Deposit and Research Accessibility. Indian Journal of Research in Library Science,2019:25(3):78–92.
20. Bhattacharya S. Future of Legal Deposit in India. Journal of Digital Knowledge,2021:9(1):12–25.